बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

-:कार्यालय आदेश:-

कार्यालय आदेश सं०....606..................../ **पटना, दिनांक**...4/7/2024...

संचिका संख्या:-BRDS/HR/18/2020

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी के 17वीं कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार BRDS अंतर्गत तकनीकी पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के सेवानिवृत्ति (60 वर्ष) के उपरांत इनके सेवा अवधि का विस्तार निम्न शर्तों पर किया जायेगा :-

1. अवधि विस्तार से संबंधित पदाधिकारी/कर्मी पर BRDS में उनके सेवाकाल के दौरान किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होना अनिवार्य होगा।
2. पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा आवेदन उनकी सेवानिवृति से पूर्व अथवा सेवानिवृति की तिथि के एक माह के अन्दर BRDS को प्राप्त होना आवश्यक होगा।
3. किसी पद विशेष के पदाधिकारी/कर्मी का अवधि विस्तार उसी पद विशेष अथवा समकक्ष पद के विरूद्ध किया जा सकेगा ।
4. सेवानिवृति के उपरांत सेवानिवृत कर्मी के लिए मासिक मानदेय का निर्धारण उन्हें सेवा अवधि में प्राप्त होने वाले अंतिम मासिक कुल मानदेय के बराबर होगा तथा इसपर किसी प्रकार की वार्षिक वृद्धि, पुनरीक्षण एवं उपलब्धि अनुलाभ (Performance Incentive) का लाभ देय नहीं होगा ।
5. अवधि विस्तार के अभ्यावेदन/अनुशंसा पर निर्णय हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार होंगे। इस हेतु जिलों में कार्यरत तकनीकी पदाधिकारियों एवं कर्मियों (कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता) के लिए सेवा अवधि विस्तार हेतु सम्बंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक की अनुशंसा अनिवार्य होगी । मुख्यालय स्तर के तकनीकी पदाधिकारी अथवा कर्मी सेवा अवधि विस्तार हेतु मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सीधे अभ्यावेदन समर्पित करेंगे।
6. सेवानिवृति के उपरांत अवधि विस्तार पाने वाले तकनीकी पदाधिकारी/कर्मी को आवश्यकतानुसार राज्य के किसी भी जिले में पदस्थापित किया जा सकेगा|
7. सेवानिवृति के उपरांत सम्बंधित पदाधिकारी/कर्मी का अवधि विस्तार अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक, अथवा पद विशेष पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए किया जायेगा । आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष तक के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यो की समीक्षा के उपरान्त अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक किया जा सकेगा ।
8. सेवा अवधि विस्तारित पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी ।
9. चूँकि जिस पद से पदाधिकारी/कर्मी (आरक्षित/अनारक्षित) सेवानिवृत हो रहे है, उनका चयन पुन: उसी पद पर किये जाने से आरक्षण का अनुपालन स्वत: हो जायेगा, अत: ऐसे नियोजन हेतु अलग से आरक्षण रोस्टर क्लियर करवाने की आवश्यकता नहीं होगी ।
10. BRDS के अवकाश नीति के अनुरूप उन्हें अवकाश देय होगा ।
11. BRDS पत्रांक 196 दिनांक 25.03.2022 में वर्णित अनुशासनात्मक कार्रवाई से सम्बंधित सभी शर्तें उन पर लागू होंगी ।
12. नियोजन हेतु पदाधिकारी/कर्मी का चयन किये जाते समय उनके स्वस्थ होने के सम्बन्ध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा |

4/7/24

(संजय कुमार)
आयुक्त मनरेगा-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि :

1. BRDS के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक/ सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित |
3. श्री सरोज कुमार, निदेशक, ई-गवर्नेंस एवं आई.टी,BRDS को BRDS वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
4. सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।